



फॉर्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }  
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

## भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस  
LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएससी/एल-8003700

Licence No. CRO/QSC/L-8003700

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान/नवीकरण की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renew

सेंट्रल डैम सेफ्टी आर्गनाइजेशन,  
सेंट्रल वाटर कमीशन,  
६१० (एस), सेवा भवन,  
आर.के.पुरम, सेक्टर-१,  
नई दिल्ली - 110 066

Central Dam Safety Organisation,  
Central Water Commission,  
610 (S), Sewa Bhawan,  
R.K. Puram, Sector -1  
New Delhi - 110 066

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS/ISO 9001:2008 अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

### IS/ISO 9001:2008

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 25 अगस्त 2015 से 24 अगस्त 2018 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा

This licence shall be valid from 25 August 2015 to 24 August 2018 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2015 के अक्टूबर माह के पांचवे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित

Signed, Sealed and dated this Fifth day of October 2015

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS



लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएससी/एल-8003700

Schedule to Licence No. CRO/QSC/L-8003700

जारी : सेंट्रल डैम सेफ्टी आर्गनाइजेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, ६१० (एस), सेवा भवन, आर.के.पुरम, सेक्टर-१, नई दिल्ली - 110 066

Issued to : Central Dam Safety Organisation, Central Water Commission, 610 (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram, Sector -1, New Delhi - 110 066

### अनुसूची SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत/ नवीकृत किया गया है  
Products Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renew the licence for Quality Management Systems Certification:

*"Providing expert services for promoting safety of dams in India and for reduction of risk to human life, property and environment." Exclusions: clause Nos. 7.3 and 7.6 of IS/ISO 9001:2008.*

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS